

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii) PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 125] No. 125 |

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 27, 1997/फाल्गुन 8, 1918 NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 27, 1997/PALGUNA 8, 1918

उद्योग मंत्रालय

(लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1997

का.आ. 154 (अ).—कयर बोर्ड द्वारा, कयर बोर्ड (कारबार का संव्यवहार, कर्मचारियों की सेवा शर्तें बौर लेखाओं का अनुक्षरण) उप-विधि, 1955 की उप-विधि-15 के साथ पठित कथर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाई गई कयर बोर्ड (सेवा) उप-विधि, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित उप-विधि जिसकी पुष्टि केन्द्रीय सरकार ने कर दी है, उक्त अधिनियम, की धारा 27 की उप-धारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित रूप में प्रकाशित की जाती है अर्थात् :-

- (1) इन उप-विधियों का संक्षिप्त नाम कयर बोर्ड (सेवा) संशोधन उप-विधि, 1997 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।
- 2. कयर बोर्ड (सेवा) उप-विधि, 1983 की अनुसूची में, अनुभाग अधिकारी के पद के सामने की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :--

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के आयु सीमा
1	2	3 .	4 . 5	6
अनुभाग अधिकारी	7	समूह ''ख''	2000-60-2300- अचयन द॰ रो॰75-3200 रुपये	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	प्रोन्नित के लिए न्यून्तम अर्हताएं		
7	8		
लागू नहीं होता	बोर्ड में 7 वर्ष की कुल सेवा जिसमें 1400—2300 रुपये के वेतनमान में 5 वर्ष क सेवाएं हो।		
4.75	टिप्पण : बोर्ड में 7 वर्ष की कुल सेवा के विहित करने वाला उपबन्ध बोर्ड के		
	कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो इन संशोधन उप-विधियों की अधिसूचना की तारीख को स्तंभ 10 में उल्लिखित पद धारण किए हुए है।		
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रति-	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/		
नियुक्ति/स्थानाँतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा।		
9	10		
प्रोन्नित द्वारा	प्रोन्नित के लिए		
	ऐसा सहायक/अन्वेषक/ज्येष्ठ लेखा परीक्षक/संपर्क अधिकारी/हिन्दी सहायक/		
	हिन्दी अनुवादक/लेखाकार/ज्येष्ठ आशुलिपिक और सहकारिता निरीक्षक जिसके		
*	पास स्तंभ 8 में विहित अपेक्षित अर्हता और अनुभव हैं।''		
	[सं. 6(2)/91-कयर]		
	ब्रहम दत्त, संयुक्त सचिव		

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Small Scale Industries and Agro and Rural Industries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 1997

- S. O. 154 (E).— The following bye laws made by the Coir Board, in exercise of the powers conferred by section 27 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953) read with bye-law 15 of the Coir Board (Transection of Business, Conditions of Service of Employees and Maintenance of Accounts) Bye-Laws, 1955, further to amend the Coir Board (Services) Bye-Laws, 1983 and confirmed by the Central Government, are hereby published as required by sub-section (2) of section 27, of the said Act, namely:—
 - (1) These bye-laws may be called the Coir Board (Services) Amendment Bye-Laws, 1997.
 - (2) They shall come into force on the date of their Publication in the Official Gazette.
- 2. In the Schedule to the Coir Board (Services) Bye-laws, 1983, for the entries against the post of Section Officer, the following entries shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

Name of Post	Number of Posts	Classification
1	2	3
Section Officer.	7	Group "B"
Scale of Pay.	Whether Selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
4	5	6
Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200.	Non selection	Not applicable.

[भाग I [—खण्ड 3(i)] भारत	का राजपत्र : असाधारण	
Educational and other qualifications required for direct recruits.	Minimum qualifications for Promotion.	
7	8	
Not applicable.	5 year's service in the scale of pay of Rs. 1400-2300 with 7 years' total service in the Board. Note:—The provision prescribing 7 years' total service in the Board will not apply to the employees of the Board holding posts mentioned in Column 10 on the date of notification these Amendment bye-laws.	
Mathad of requisition and what has her disposed as a printer and		
Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentag of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	
9	10	
By promotion	For promotion Assistant/Investigator/Senior Auditor/Liaison Officer/Hindi Assistant/Hindi Translator/Accountant /Senior Stenographer and Co-operative Inspector possessing the requisite qualification and experience prescribed in Column 8."	

[No.6(2)/91-Coir]

BRAHM DUTT, Jt. Secy.

.